



तमक्ष तदस्य महोदय, राजस्व मण्डल गवालियर कैम्प भोपाल ३८८.५

AJT-3675-#16

पृ. ४०. -----

।। क्लदीप लेठी पुनर् स्वर्व. सरदार अमरसिंह वयस्क

निवासी अमरसिंह जेठी का बगीचा स्कैप रोड तीहोर

2/ਕੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਰ੍ਫ ਕਮਜ਼ੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਤ੍ਰ ਰਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੀ

अभिभावक श्री उ० प० उ० अ० सी मण्डी, इयामपुर रोड सीहोरजिला सीहोर-----निगरानीकता
द्वारा आज दिनांक १५/१०/१६
को पेश। विरुद्ध

पिल्लौ

अधीक्षक ।।०।८ ग्रन्थरण कौर पत्री सर्व. सरदार अमरसिंह सेठी वयस्क

निवासी | 28 दंगी स्टेट सीहोर

२/श्रीमति ज्ञान कौर उर्फ बलवंत कौर पुत्री स्वर्ग. सरदार अमरसिंह

ਪਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਨਦੂ ਭਾਟਿਆ, ਬਧਸ਼ਕ ਨਿਵਾਸੀ ਮ.ਨੰ. 1162 ਫੈਸ-2

अरेकन स्टेट इंगरी कम्युनिटी सेन्टर लधियाना १० पंजाब

੩/ਬ੍ਰਾਹਮਤਿ ਸੁਰਜੀਤਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹੀਦ

निवास ११० विद्यानगर इन्दौर म.प्र.।

४/सुनीता कौर शाह पुत्री स्व. दरचरण शाह कश

5/ज्यौति शाव पुत्री स्व. हरचण शाव क्यस

६/नवदौषिण शाव पुत्र सर्व.हरचरण शाव व्यस्क

4 से 6 निवासी म.नं. 4। तिलक पार्क के पास कस्बा

सीहोर तहसील व जिला सीहोर ————— प्रतिनिगरानीकरण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प.भ.रा.सं. 1959

विरुद्ध आदेशा दिनांक ६/९/२०१६, प्र.क्र.७२/अ-२७/२०१४-१५

गृह्यरण कौर विस्त्र श्रीमति ज्ञान कौर व अन्य पारित द्वारा

त हसीलदार महोदय, इचावर, जिला सीहोर मध्य प्रदेश ॥

महोदय,

निगरानीकतार्गण मा. अधि. न्यायालय द्वारा पारित आदेश
से प्रभावित एवं असंतुष्ट होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों
पर यह निगरानी पत्र प्रस्तुत करते हैं :-

- :- पक्करण के तथ्य :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुबंधि आदेश प्राप्त

प्रकरण क्रमांक R - ३६९८ - ५१६

(भिला) - सीहोर

राजन वथा दिनांक	फार्माई तथा आदेश	प्रकरण क्रमांक दिनांक
6/2/19	<p>इस प्रकारध में दिनांक 22/6/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तैयारी भालार इफातर के प्रकरण क्रमांक ९२।भ-२।।५-१५ में पारित आदेश दिनांक ६।९।१६ के विरुद्ध प्रत्युत की गयी है। म०प्र० भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक ५।९।५।१९ को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">W/ 6/2/19.</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	